बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/प्राध्यापक के पदों पर संविदा (मानदेय) के आधार पर चयन हेतु Walk in Interview

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के सभी विभागों में प्राध्यापक/सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक (एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एफ0एम0टी0, पी0एस0एम0, एनेस्थेसिया, टी0वी0 एण्ड चेस्ट, चर्म एवं रति रोग, नेत्र रोग, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरॉपी, मनोरोग विभाग) के स्वीकृत रिक्त पदों पर संविदा (मानदेय) चयन हेतु पैनल निर्माण के लिए इच्छुक चिकित्सक शिक्षकों से On-Line आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.health.bih.nic.in के लिंक पैनल Prepration For Senior Resident/Tutor पर दिनांक 22.03.15 के अपराह्न 05.00 बजे तक निम्न शर्त्तों के अधीन आमंत्रित किये जाते हैं।

2. उपरोक्त चयन हेतु साक्षात्कार (वाक इन इन्टरव्यू) निम्न तिथियों को आयोजित है :—

क्रम सं0	पदनाम/ विभाग	तिथि, समय एवं स्थान
(i)	प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक — सभी विभाग	23.03.2015 11.00AM से SIHFW Office, शेखपुरा, पटना।
(ii)	सहायक प्राध्यापक —एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एफ0एम0टी0, पी0एस0एम0	06.04.2015 11.00AM से SIHFW Office, शेखपुरा, पटना।
(iii)	सहायक प्राध्यापक — एनेस्थेसिया, टी0वी0 एण्ड चेस्ट, चर्म एवं रति रोग, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरॉपी, मनोरोग	07.04.2015 11.00AM से SIHFW Office, शेखपुरा, पटना।
(iv)	उपरोक्त तिथियों को छूटे अभ्यर्थियों के लिए	08.04.2015 11.00AM से SIHFW Office, शेखपुरा, पटना।

साक्षात्कार के समय सभी आवेदकों को आवेदन एवं सभी मूल प्रमाण—पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। कार्य अनुभव के लिए अलग से प्रमाण—पत्र लाना होगा।

3). **उम्र सीमा** :— दिनांक 01.07.2015 को 69 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

4). **शैक्षणिक योग्यता** :— भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित।

5.) **आरक्षण** :— बिहार सरकार द्वारा देय आरक्षण प्रभावी होगा।

6). **मानदेय** :—

- सहायक प्राध्यापक — रु0 47,000/— (सैतालिस हजार रु0)
- सह प्राध्यापक — रु0 50,000/— (पचास हजार रु0)
- प्राध्यापक — रु0 94,000/— (चौरानवें हजार रु0)

7.) कार्य संतोषप्रद होने पर प्रत्येक वर्ष 10% की कुल मानदेय में वृद्धि देय होगी।

8). यह नियुक्ति 3 वर्षों या उन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए अनुमान्य होगी तथा नियमित नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

9). आवेदक की अधिकता होने की स्थिति में चयन का आधार सहायक प्राध्यापक के लिए विशिष्ट योग्यता एवं सह प्राध्यापक/प्राध्यापक के लिए स्नातकोत्तर उत्तीर्णता का वर्ष होगा।

10). राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में संविदा/नियमित पद पर कार्यरत सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/प्राध्यापक एवं संविदा हेतु चयनित एवं अधिसूचित सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक आवेदन के पात्र नहीं होंगे (उन्हें छोड़कर जो अगले 60 दिनों में सेवानिवृत हो रहे होंगे। यदि उनका चयन होता है तो सेवानिवृति के पश्चात उन्हें योगदान करना होगा)।

साक्षात्कार के समय सभी आवेदकों को आवेदन एवं सभी मूल प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। कार्य अनुभव के लिए अलग से प्रमाण–पत्र लाना होगा।

11) साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12) पैनल में नाम होना नियुक्ति की बाध्यता नहीं होगी।

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार